कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला–सूरजपुर (छ0ग0)

—–::: आदेश :::—–

क्रमांक /3500 /मान्यता / अनुमति / 2023, सूरजपुर, दिनांक 01/05/2023

प्रबंधक

बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के खण्ड 18 के उद्देश्य के लिये बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून के नियम 11 के उप–नियम (4) के तहत् विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।

आपका आवेदन पत्र दिनांक 24/02/2023 के संदर्भ में और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण उपरान्त **डी0व्ही0एम0 इन्टरनेशनल स्कूल (सी0बी0एस0ई0) जरही, विकासखण्ड – प्रतापपुर जिला–सूरजपुर (छ.ग.) को कक्षा नर्सरी से 8वीं** तक के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए जो 16.06.2023 से 31.05.2024 तक प्रभावशील रहेगा, (सशर्त) अस्थाई मान्यता/अनुमति/नवीनीकरण प्रदान किया जाता है।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :–

1. मान्यता की स्वीकृति परिवर्धनीय नहीं है और किसी भी प्रकार से कक्षा बाद की मान्यता से संबंधित नहीं है।
2. बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009 (एनेक्सर) और बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकारकानून 2009 विद्यालय के लिए बन्धनकारी रहेगा।
3. विद्यालय पड़ोस के कमजोर वर्ग और सुविधाहीन समूह के बच्चों को कक्षा 1ली की दर्ज संख्या तक प्रवेश देगा और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता तक निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराएगा। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं की स्थिति में भी यही मानक लागू होगा।
4. परिच्छेद 3 में संदर्भित बच्चों के लिए कानून के खण्ड 12 (2) के अनुसार विद्यालय को व्यय प्रतिपूर्ति की जाएगी। ऐसे प्रतिपूर्ति को प्राप्त करने लिए विद्यालय पृथक बैंक खाता उपलब्ध कराएगा।
5. सोसायटी/विद्यालय कोई भी कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा और न ही बच्चे का या उसके माता पिता का या पालकों का स्क्रीनिंग टेस्ट करेगा।
6. विद्यालय आयु प्रमाण–पत्र के अभाव में साथ ही धर्म, जाति या वंश, जन्म स्थान या अन्य आधार पर किसी भी बच्चे को प्रवेश से वंचित नहीं करेगा।
7. विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि :–
   - (i) प्रवेशित किसी भी बच्चे को विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी कक्षा में रोक नहीं जायेगा या विद्यालय से निकाला नहीं जायेगा।
   - (ii) किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जायेगी।
   - (iii) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता तक बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं है।
   - (iv) प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बच्चों को नियम 23 में यथानुसार प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।
   - (v) कानून के प्रावधानों के अनुसार विकलांगता/विशेष आवश्यकता वाले छात्रों का समावेश।
   - (vi) शिक्षक कानून के खण्ड 23 (1) में निर्दिष्ट न्यूनतम सहित नियुक्ति किए जाते है। 5 वर्ष की समयावधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यताएं प्राप्त करेंगे।
   - (vii) शिक्षकों कोददेय वेतन और भत्ते, उनकी सेवा नियम व शर्तें कानून के खण्ड 23 (3) के उद्देश्य के लिये नियम 18 के उप नियम (1) के तहत् राज्य सरकार द्वारा यथा अनुशसित होगी।
   - (viii) शिक्षक कानून के खण्ड 24 (1) के तहत् विशिष्टीकृत कर्तव्य पूरा करते हैं और शिक्षक स्वयं को निजी शिक्षण गतिविधियों में संलग्न नहीं करेंगे।

DVM International School

Principal Manager